



राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर

Rajasthan State Allied and Healthcare Council, Jaipur

C-7(A) Sulthan House, Sawai jai singh Highway, Banipark, Jaipur – 302016

Website : <https://rsahcouncil.org> , Contact : 0141-4004914 Email-id affiliation@rsahcouncil.org

क्र.पं./राज.स्टे.अ.हैल्थ के.कौ./मान्यता (संबद्धता शुल्क)/2025/296

दिनांक :- 21/07/2025

प्रधानाचार्य/सचिव/निदेशक

समस्त मान्यता प्राप्त राजकीय पैरामेडिकल संस्थान/महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय :- मान्यता/संबद्धता शुल्क सत्र 2025-26 जमा करवाने के क्रम में।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर (परिवर्तित नाम राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल) की बैठक दिनांक 28.02.2023 में लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल (परिवर्तित नाम राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल) द्वारा डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा नियमानुसार प्रतिवर्ष प्रति कोर्स/पाठ्यक्रम 25 सीट हेतु राशि 50,000/- एवं 50 सीटो हेतु 1,00,000/- तथा इससे अधिक सीट होने पर सीटो के संख्या के अनुपातिक रूप में लिये जाने एवं निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर 10,000/- रुपये शास्ति राशि देय होगी।

कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त सभी निजी महाविद्यालयों/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित वार्षिक मान्यता/संबद्धता शुल्क (Affiliation Fee) दिनांक 22.07.2025 से 31.07.2025 तक बिना विलम्ब शुल्क तथा दिनांक 04.08.2025 तक 10,000/- रुपये (प्रति कोर्स) विलम्ब शुल्क मय जीएसटी राशि सहित जमा कराना सुनिश्चित करें।

मान्यता/संबद्धता शुल्क राशि मय जीएसटी राशि (SGST 9% , CGST 9%) नियमानुसार 18 प्रतिशत का भूगतान द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव दी राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल के नाम देय अथवा दी राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल के खाते में ऑनलाईन के माध्यम से भी भूगतान किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

The Rajasthan State Allied and Healthcare Council

STATE BANK OF INDIA

A/C NO – 43150416847

IFSC CODE – SBIN0031510

GST Registration No. 08AAAGT2055F1ZE

शीघ्र ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। निर्धारित तिथि तक मान्यता शुल्क जमा नहीं करवाने वाली संस्थानो/महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 की प्रवेश प्रक्रिया की काउन्सिलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा तथा संस्थान/महाविद्यालय की नियमानुसार मान्यता समाप्त किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान संचालक की होगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

2-
(उत्तम सिंह शेखावत)
RAS
सचिव

क्र.पं./राज.स्टे.अ.हैल्थ के.कौं./मान्यता (संबद्धता शुल्क)/2025/296

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, महोदया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, जयपुर।
3. लेखा/रोकड शाखा, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल (परिवर्तित नाम राजस्थान स्टेट अलाइड एण्ड हैल्थकेयर कौंसिल, जयपुर)।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही वेबसाईट पर अलपोड करें।
5. रक्षित पत्रावली।

2-4
सचिव

